

8.4.24

पत्रावली चेग हुई। बकुलाग पक्षकार अनुपस्थित हुए।  
प्रकरण का मूल वाद आदेश 9 नियम 3 के तहत बाजि  
ले चुका है। जिससे हस्तगत प्रकरण में अब कोई अर्ज नहीं  
शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 3 के तहत अफसर्ज  
अदम करवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेरेइजलास बुक  
गमा प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(सि।डी।बी)

उपखण्ड अधिकारी  
गिरा, उदयपुर

